:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—07 / 2023 दायर दिनांक 16.01.2023

सुन्दरलाल पुत्र तेजा जाति मीणा उम्र बालीग निवासी पोहरीखातुरात तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज।

—वादी

बनाम

1 मंशा पुत्र हलीया जाति मीणा
2 मोतीलाल पुत्र मावजी जाति मीणा
3 रामगोपाल पुत्र मावजी जाति मीणा
4 गंगाराम पुत्र मावजी जाति मीणा
5 हीरालाल पुत्र भांकर जाति मीणा
6 सुरमाल पुत्र तेजा जति मीणा
7 सोमा पुत्र हलीया जाति मीणा
8 रामा पुत्र हरजी जाति मीणा
9 अमृत पुत्र हरजी, जाति मीणा
10 धनेश्वर पुत्र हरजी जाति मीणा
11 दिनेश पुत्र भगवान जाति मीणा निवासीयान पोहरीखातुरात तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज।
12 श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार झौथरीपाल डूँगरपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 53, 92क, 209 रा.का. अधिनियम

उपस्थित :—

1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता वादी।
2 श्रीकान्त जैन अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

:: निर्णय :: दिनांक 30 / 07 / 2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव घोडाखरा के जमाबन्दी खाता संख्या 219 के खसरा सख्या 1347, 1348 रकबा कमशः 0.5096 हैक्टेयर एवं 0.0404 हैक्टेयर कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 0.5500 हैक्टेयर भूमि है जिसमें वादी एवं उसके भाई प्रतिवादी सुरमाल की माता हीर पत्नी तेजा की मृत्यु हो जाने से 1 / 16 हिस्सा आता है। हाल जमाबन्दी में दर्ज नाम मावजी, शंकर, हरजी एवं हीर की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है कि वादग्रसत आराजी में मौके पर आपसी बंटवारा हो चुका है उसी अनुरूप मौके पर काबीज होकर काश्त करते आ रहे है, किन्तु रिकार्ड में बंटवारा नहीं होने के कारण कई प्रकार से कार्य नहीं हो पाते है तथा आपस में सहमति लेने की आवश्यकता पडती है तथा असहमति होने पर आवश्यक सरकारी काम काज रूक जाते है। वादग्रस्त आराजी जो बिन्दु संख्या 1 में

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

वर्णित की गई है, जिस पर वादी के पिता के जीवन काल से मौके पर आपसी बंटवारे किए हुए है इसी अनुसार मौके पर काबीज होकर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हक हिस्से में काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी पर मौके पर आपसी बंटवारे/काबीज अनुसार रिकार्ड में बंटवारा दर्ज किया जाना आवश्यक है। वादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादीगण से तहसील कार्यालय में आकर सहमति बंटवारा हेतु कहा गया, किन्तु प्रतिवादीगण तहसील कार्यालय में नहीं आ रहे है तथा बार–बार टलम टोल किया जा रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे रिकोर्डड बटवारा नहीं करवाना चाहते है। इस प्रकार वाद हेतुक निरन्तर उत्पन्न हो रहा है। इसलिए बटवाडा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वाद ग्रस्त भूमि मे वादी व प्रतिवादीगण के बटवारे हो जाने पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से की भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग व काश्त कर सकेंगे। ऐसी परिस्थति में वादी का वाद ग्रस्त भूमि मे से हिस्सा अलग किया जाकर अलग खाता कायम किया जावे ताकि वादी अपनी इच्छानुसार काश्त कर उपज प्राप्त कर सके। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है कि वह वादग्रस्त भूमि का बंटवारा पूर्व किसी प्रकार का विकय हस्तान्तरण किसी भी व्यक्ति संस्थान को न स्वयं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे, भूमि की किस्म परिवर्तन न तो स्वयं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे। वाद ग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर निर्माण न स्वयं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे। वादी के काश्त कार्य मे रूकावट पेदा न करें तथा दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से को बेचा जाता है या किस्म परिवर्तन कराई जाती है तो विकय किये जाने वाले रकबे या आबादी परिवर्तन किये जाने वाले रकबे को प्रतिवादीगण के हिस्से से कम किया जाकर उस अनुरूप बटवाडा किया जावें। वादग्रस्त भूमि जिसका वर्णन वाद के कालम सं 1 मे किया है, वाद मे अंकित व राजस्व रेकार्ड अनुसार वादी का हिस्सा अलग किया जाकर बटवारा कायम किया जाकर भूमि अलग अलग खाते दर्ज किये जाने डिक्री प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी सख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्रीकान्त जैन ने वकालतनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी गंगाराम की मृत्यु हो जाने से उनके वारीसान निखिल पुत्र गंगाराम, निशा पुत्री गंगाराम, गंगादेवी पत्नी गंगाराम, हीरालाल, मंशा, मोतीलाल, रामगोपाल, कान्तीलाल सोमा, रामा अमृत पुत्र हरजी, धनेश्वर पिता हरजी, दिनेश, नाथी, मणी, लक्ष्मीचन्द शारदा, हांजा हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच आपसी राजीनामा हो गया है। मौके पर पूर्व में किये गये बंटवारे अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण रेकॉर्ड में बंटवारा कराये जाने हेतु पूर्ण रूप से सहमत है। राजीनामा तस्दीक कर बंटवारा कर खाते अलग–अलग कायम किए जावे।

पत्रावली का अवलोन किया गया, राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। वादी का वाद बटवारा कर खाते अलग–अलग कायम करने का होने से वादी का वाद स्वीकार किया गया।

वादी के वाद को स्वीकार कर प्रथमिक डिक्री जारी की गई, तहसीलदार तहसील झोथरीपाल से विभाजन प्रस्ताव मगवाया गया जो शामिल पत्रावली किया। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी सुन्दरलाल को खसरा संख्या 1347, 1348

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

का रकबा कमशः 0.5096 हैक्टेयर एवं 0.0404 हैक्टैयर में से कमशः 0.0425 हैक्टेयर एवं 0.0034 हैक्टेयर दिया गया है। वादी को जो भाग बटवारे में दिया गया है वह नक्षे में लाल स्याही से अंकित किया गया है।

::आदेश::

गांव घोडाखरा के जमाबंदी खाता संख्या 219 के खसरा संख्या 1347, 1348 रकबा क्रमशः 0.5096 हैक्टेयर एवं 0.0404 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.5500 हैक्टेयर भूमि वादी–प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते दर्ज है। तहसीलदार तहसील झौथरीपाल को आदेशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी सुन्दरलाल को खसरा संख्या 1347, 1348 का रकबा कमशः 0.5096 हैक्टेयर एवं 0.0404 हैक्टैयर में से कमशः 0.0425 हैक्टेयर एवं 0.0034 हैक्टेयर दिया गया है। वादी को जो भाग बटवारे में दिया गया है वह नक्शे में लाल स्याही से अंकित किया गया है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में खाते अलग–अलग दर्ज किए जावे। उक्त विभाजन प्रस्ताव, मय नक्षा ट्रेस इस आदेश/डीकी का भाग है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के बंटवारे में प्राप्त हुई भूमि में वादी के शान्ति पूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं करे जिससे वादी के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पडे, वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

निर्णय आज दिनांक 30/07/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

बटवारे के वाद में अन्तीम डिकरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सीमलवाडा जिला डूँगरपुर

पीठासीन अधकारी श्री राकेश कुमार न्योल .

श्री सुन्दरलाल बनाम मंशा आदि

दावा बाबत् बटवारा एवं स्थाई निषेधज्ञा

प्रकरण सख्याः– 07/2023

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार कलाल उप. और प्रतिवादीगण की ओर से श्रीकान्त जैन अधिवक्ता। आज दिनांक 15/05/2024 को पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार न्योल के समक्ष बटवारे हेतु प्राथमिक डिकरी के लिए पेश होने पर ओदश किया जाता है वादी का वाद स्वीकार कर डिकी दी जाती हैं।

गांव घोडाखरा के जमाबंदी खाता संख्या 219 के खसरा संख्या 1347, 1348 रकबा क्रमशः 0.5096 हैक्टेयर एवं 0.0404 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.5500 हैक्टेयर भूमि वादी–प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते दर्ज है। तहसीलदार तहसील झोथरीपाल को आदेशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी सुन्दरलाल को खसरा संख्या 1347, 1348 का रकबा कमशः 0.5096 हैक्टेयर एवं 0.0404 हैक्टैयर में से कमशः 0.0425 हैक्टेयर एवं 0.0034 हैक्टेयर दिया गया है। वादी को जो भाग बटवारे में दिया गया है वह नक्शे में लाल स्याही से अंकित किया गया है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में खाते अलग–अलग दर्ज किए जावे। उक्त विभाजन प्रस्ताव, मय नक्षा ट्रेस इस आदेश/डीकी का भाग है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के बंटवारे में प्राप्त हुई भूमि में वादी के शान्ति पूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं करे जिससे वादी के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पडे, वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे।

आज दिनाक 30/07/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1. वाद के लिए स्टाम्प			1 स्टाम्प वकालतनामा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अरजी के लिए		
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			3. महनताना वकील		
4 महनताना वकील			4 खचो गवाहन		
5. खर्चा गवाहान			5 आदेशिका की तामील		
6 कमिश्नर की फीस			6 कमिश्नर की फीस		
7 आदेशिका की तामील					
योग					

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner